MR. CHAIRMAN: Next Question.

*703. *[The questioner (SHRI S. AGNIRAJ) was absent for answer vide page 25 Infra.]*

*704. *[The questioners (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA and DR. D. MASTHAN) were absent, for answer vide page 26 Infra.]*

तारांकित प्रश्न संख्या 705 जिसका उत्तर 16 मई, 2000 को दिया जाना है।

सतलुज-यमुना नहर का निर्माण

***705. श्री बनारसी दास गुप्तः क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में सतलुज-यमुना नहर के निर्माण हेतु धन खर्च किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना धन खर्च किया गया है;

(ग) क्या इस नहर का निर्माण-कार्य इन दिनों चल रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्माण-कार्य बंद होने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) केन्द्र सरकार ने पंजाब में सतलुज-यमुना संपर्क नहर के निर्माण के लिए निधियां उपलब्ध कराई हैं और अब तक 499.12 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वर्तमान में इस नहर का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। इस परियोजना के अभियन्ताओं की हत्या के कारण यह कार्य रुका पड़ा है। तथापि, इस नहर को तत्काल पुनः शुरू करवाने और पूरा करवाने के लिए हरियाणा राज्य द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में वाद दायर करने के कारण यह मामला न्यायाधीन है।

Construction of Satluj-Yamuna Canal

†*705. SHRI BANARSI DAS GUPTA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the Central Government have spent funds for the construction of Satluj-Yamuna canal in Punjab;

(b) if so, the amount spent so far;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(c) whether construction work of this canal is being carried out these days; and

(d) if not, the reasons for stopping the construction work?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (DR. C.P. THAKUR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The Central Government have provided funds for construction of the Satluj Yamuna Link Canal in Punjab and a sum of Rs.499.12 crores has been released so far. The construction work of this canal is not being carried out at present. The work on this canal came to a standstill following the killing of the engineers of the project. The matter however, is now *sub-judice* as a Suit has been filed by the State of Haryana in the Supreme Court of India for immediately restarting and completing the canal.

श्री बनारसी दास गुप्तः सभापति महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो जवाब दिया है वह केवल टालने के लिए है, औपचारिकता है। कोई ठोस और माकूल जवाब नहीं है। यदि मैं यह कहूं कि मंत्री जी का यह जवाब हरियाणा के किसानों के साथ मजाक है तो कोई गलत बात नहीं है। महोदय, आप तो जानते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरियाणा के किसानों की जीवन रेखा है, यह सतलुज युमना लिंक कैनाल। इसके निर्माण के लिए कितनी बार काम शुरू हुए, कितनी बार बंद हुए, कई बार समझौते हुए और वे समझौते भी पूरे नहीं हुए। मंत्री जी ने बतलाया है कि करीब 500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इस नहर के निर्माण पर खर्च किया है और तकरीबन इतना ही पैसा हरियाणा सरकार ने भी खर्च किया है। जिस नहर के निर्माण पर इतना रुपया खर्च हुआ हो और इतनी इंपार्टेंट नहर हो, महोदय, आप जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो पानी के बंटवारे के लिए और पानी के प्रयोग के लिए, सन् 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक "इंडस वॉटर ट्रीटी" हुई और वर्ल्ड बैंक ने उसमें सहयोग दिया। उस ट्रीटी के अंतर्गत भारत सरकार ने 110 करोड़ रुपया पाकिस्तान को मुआवज़े के तौर पर दिया। उस जमाने में 110 करोड़ बहुत ज्यादा थे। इतनी भारी रकम देकर पानी के यूज़ करने का अधिकार प्राप्त किया और उसी आधार पर भारत सरकार ने रावी–ब्यास के पानी का बंटवारा किया। क्योंकि पानी भारत सरकार का था, भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ ट्रीटी की, भारत सरकार ने 110 करोड़ रुपये मुआवज़ा दिया, तो भारत सरकार ने एक सिद्धांत बनाया कि जितने संबंधित प्रदेश हैं, जिस प्रदेश में पानी की ज्यादा कमी है, सूखा है, उस प्रदेश को ज्यादा पानी दिया जाए। महोदय, उस समय रावी और ब्यास का जो सरप्लस वॉटर था, जिसके बंटवारे पर यह विवाद चल रहा है 15.85 मिलियन एकड़ फीट पानी था। उस पानी को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप सवाल कीजिए।

श्री बनारसी दास गुप्त: मैं उसकी भूमिका बतला रहा हूं।

श्री संघ प्रिय गौतम: मेडन है।...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: मेडन नहीं है, साहब, ये बड़े पुराने हैं।

श्री बनारसी दास गुप्त: महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री सभापति: आप सवाल कीजिए

श्री बनारसी दास गुप्त: मैं अपना प्रश्न करूंगा, सप्लीमेंटरी करूंगा, लेकिन जब तक इसकी भूमिका नहीं बताई जाएगी...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: क्वश्चन ऑवर में भूमिका नहीं चाहिए, आपका सवाल चाहिए और उनका जवाब चाहिए।

श्री बनारसी दास गुप्त: यह प्रश्न से ही संबंधित है, महोदय।

श्री सभापति: नहीं-नहीं।

श्री बनारसी दास गुप्त: मैं प्रश्न ही कर रहा हूं।

श्री सभापति: यह डिबेट में आप बताते हैं। इसका मतलब है सवाल आपको भी मालूम है और मंत्री जी को भी मालूम है तथा मैंबरों को भी मालूम है। आप सीधा सवाल कीजिए, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।

श्री बनारसी दास गुप्त: महोदय, अगर मंत्री जी को मालूम होता तो ऐसा जवाब नहीं दिया जाता। जो जवाब मंत्री जी ने दिया है उससे मालूम होता है कि उनको सारे इतिहास का पता नहीं है...(**व्यवधान**)

श्री टी.एन. चतुर्वेदी: उसी पृष्ठभूमि में जवाब दिया गया है।

श्री बनारसी दास गुप्त: मैं उनके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं।

श्री सभापति: देखिए, क्वश्चन ऑवर में यह जानकारी नहीं दी जाती। आप तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। क्वश्चन ऑवर में सिर्फ सवाल किया जाता है और जवाब दिया जाता है।

श्री बनारसी दास गुप्त: महोदय, मेरा एक निवेदन है कि इसके बारे में तीन बार समझौता हुआ। सन् 1976 के अंदर फैसला हुआ, जब तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पंजाब के मुख्य मंत्री स्व. ज्ञानी जैल सिंह जी होते थे और हरियाणा का मैं मुख्य मंत्री होता था, उस वक्त उन्होंने, भारत सरकार ने फैसला किया। मार्च, 1976 के गजट में यह फैसला प्रकाशित है कि

नहर बनेगी और जल्दी से जल्दी बनेगी, लेकिन नहर का काम शुरू नहीं हुआ और 1976 में पंजाब सरकार ने यह फैसला मानने से इंकार कर दिया।

श्री सभापतिः आप सवाल कीजिए। ....(**व्यवधान**) आप मेरी बात सुनिए...(**व्यवधान**) आप बैठिए।... (**व्यवधान**)देखिए, आप सवाल कीजिए, इतना लंबा बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती और यह आपको बताने की बात नहीं है। मंत्री जी सब इतिहास जानते हैं। उनके पास सभी पेपर्ज़ हैं। इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सवाल कीजिए।

श्री बनारसी दास गुप्तः महोदय, मैं यह बतलाना चाहता हूं।

श्री सभापतिः आपको बतलाने की जरूरत नहीं है।...(**व्यवधान**)

श्री बनारसी दास गुप्तः एक बार फैसला हुआ कि नहर...(**व्यवधान**)

श्री सभापतिः आप यह मत बताइये। आपको सवाल क्या करना है वह बताइये।

श्री बनारसी दास गुप्तः मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं जैसा उन्होंने कहा कि नहर का निर्माण इसलिए बंद हुआ कि जो इंजीनियर्स वहां पर काम करते थे उनकी हत्या कर दी गई, तो यह हत्या कब हुई और काम कब बंद हुआ, यह तो मंत्री जी बतलायेंगे?

श्री सभापतिः हां, वह ठीक है।

डॉ. सी.पी. ठाकुरः सभापति महोदय, माननीय सांसद् हरियाणा के मुख्य मंत्री रह चुके हैं और और हरियाणा की समस्या के लिए उनकी जो वेदना है उससे मैं सहमत हूं, लेकिन देश का जो सवाल है उसके लिए सभी लोग सहमत रहते हैं। अगर देश को कोई प्रश्न अधिक इफैक्ट करता है तो उसके विषय में सभी लोगों का सोचना लाज़िमी है। इस पर इंदिरा जी ने भी कोशिश की, राजीव गांधी ने भी कोशिश की, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रयत्नशील हैं। महोदय, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और उस दिन अनुकूल वातावरण हो जाएगा दोनों प्रांतों के बीच में, तो हम माननीय सांसद से भी मदद लेंगे, और हमारे पंजाब के सांसद हैं, उन से भी मदद लेंगे और उस दिन नहर बन जाएगी। हम लोग तो नहर को बनाने के लिए तैयार हैं। सभापति महोदय, पैसे की कमी नहीं है, केवल दोनों राज्यों के बीच यह एक संवेदनशील प्रश्न है।

श्री बनारसी दास गुप्तः महोदय.... मुझे दो सप्लीमेंटरी तो करनी है....

श्री सभापतिः बस, आप ने तो दो नहीं दस सवाल कर लिए हैं। चार मिनट तो आप ने अपनी बात करते लगा दिए। ....(**व्यवधान**).... अब नहीं। सरदार गुरूचरण सिंह तोहड़ा।

श्री बनारसी दास गुप्तः महोदय, पंजाब के साथ कोई मतभेद नहीं है। सन् 1981 में पंजाब की सरकार ने एक व्हाइट पेपर जारी किया ....(**व्यवधान**).... और कहा कि यह फैसला हुआ है नहर बनाने का और पानी के बंटवारे का। यह पंजाब के हक में है ....(**व्यवधान**).... पंजाब के

लिए लाभदायक है। यह व्हाइट पेपर मेरे पास है ....(व्यवधान).... मैं मंत्री जी को कॉपी दे सकता हूं।

श्री सभापतिः देखिए यह डिबेट नहीं है। डिबेट में यह सब बातें आती हैं। आप ने सवाल करना था, वह कर लिया और उन्होंने जवाब दे दिया।

श्री बनारसी दास गुप्तः मैंने सवाल पूछा था कि उन की हत्या कब हुई और काम बंद कब हुआ?

श्री सभापतिः यह पूछिए, यह ठीक है। अब उन को जवाब देने दीजिए।

श्री बनारसी दास गुप्तः यह भी प्रश्न नहीं है।

श्री सभापतिः यह प्रश्न नहीं है तो क्या है? आप ने सवाल तो यही किया था कि यह बताइए कि उन की हत्या कब हुई थी और काम बंद कब हुआ था?

डा. सी. पी. ठाकुरः सर, हत्या के बाद से जो काम बंद हुआ तो फिर अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हत्या 23 जुलाई, 1990 में हुई और उस के बाद से काम बंद है।

श्री बनारसी दास गुप्तः सभापति जी....

श्री सभापतिः उन्होंने डेट बता दी है। उन्होंने 1990 की डेट बताई है।

सरदार गुरूचरण सिंह तोहड़ाः सभापति जी, उन्होंने जवाब दिया है कि यह केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पंजाब को भी इस के पानी के मामले में एतराज है और जो बेइंसाफी पंजाब के साथ हुई है, उस पर बोलूंगा तो आप कहेंगे कि डिबेट नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे कुछ बताना पड़ेगा कि पंजाब का नदी जल बंटवारा जैसा हुआ, वह पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। नेशनल, इंटरनेशनल कानूनों को ऊपर रखकर एक राइपेरियन राइट बनाया गया। पंजाब में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे और दूसरे चीफ मिनिस्टर भी कांग्रेस के थे। उन दोनों के सामने प्राइम मिनिस्टर ने एक दस्तावेज बनाकर रखा और कहा कि इस के ऊपर हस्ताक्षर कर दो, मैंने पानी का बंटवारा कर दिया है। मंत्री जी बताएं कि ऐसा बंटवारा कहीं आज तक हुआ है, देशभर में कहीं ऐसा बंटवारा हुआ है?

श्री सभापतिः आप का सवाल हो गया।

सरदार गुरूचरण सिंह तोहड़ाः ट्रिब्यूनल बनते हैं, सब कुछ होता है। हमारा डिस्प्यूट है और वह नहर उतनी देर नहीं खोदी जा सकती जितनी देर डिस्प्यूट दूर नहीं होता, पंजाब का एतराज दूर नहीं होता। इस में पंजाब का तो नुकसान हुआ है, पंजाब के दरिया का पानी दूसरे स्टेट्स ने लूट लिया, और लूटना चाहते हैं। सर, अगर ये हरियाणा वाले राइपेरियन हैं तो हम सब यहां यमुना में

राइपेरियन थे। तो यमुना का पानी इन को क्यों दिया गया? मंत्री जी बताएं कि यमुना का पानी हरियाणा को क्यों दिया गया जब कि हम भी राइपेरियन थे? अगर सतलुज के पानी में, व्यास के पानी में, रावी के पानी में राइपेरियन बनता है तो हम भी राइपेरियन थे, इसलिए मंत्री जी बताएं कि इस का बंटवारा क्या होगा?

डा. सी. पी. ठाकुर: सर, यमुना के पानी के शेयरिंग का जो प्रश्न था उस वक्त जब पंजाब और हरियाणा अलग-अलग हुए तो पंजाब ने उस वक्त कुछ नहीं कहा और उस वक्त यमुना के पानी के बारे में यह तय नहीं हुआ कि इसे पंजाब को दिया जाये, इसलिए वह हरियाणा को दिया गया। उसके बाद का जो सवाल है, उस का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। जब तक तोहड़ा जी जैसे नेता और गुप्त जी, सब लोग मिलकर नहीं बैठेंगे, इस सवाल का हल नहीं हो सकता है।

श्री लछमन सिंह: चेयरमैन साहब, मुझे इस सवाल के मुतल्लिक बहुत कुछ मालूम है। 1966 में जब हरियाणा बना तो 1967 में जब मैं पहली दफा इलैक्ट हुआ था, तब भी यह सवाल आया था और आज भी दोनों असैम्बलियों में यह सवाल आता है। चेयरमैन साहब, दिक्कत यह है कि दोनों तरफ यह पोलिटिकल मैटर बन गया है। वहां की इकॉनमी का और जमींदारों की भलाई का ख्याल दोनों तरफ नहीं है और यह पंजाब में भी, हरियाणा में भी पोलिटिकल मैटर बन गया है। इसको हल करने के लिए न हरियाणा के लीडर कोशिश करते हैं, न पंजाब के लीडर कोशिश करते हैं, इसे पोलिटिकल मैटर बनाकर बैठ गए हैं। मैंने हरियाणा की असैम्बली में इस पर 15-20 मिनट स्पीच दी थी और सब इसको मानते हैं दिक्कत क्या है कि पंजाब जब तक्सीम किया गया, उनको खुशी थी लेकिन आज जो इनका राज फरीदाबाद की दीवारों से दिल्ली की दीवारों तक था, वह खत्म हो गया और आज जब हरियाणा में ऐंटर होते हैं तो कार खोली जाती है, हिमाचल जाते हैं तब भी कार खोली जाती है तो खालसा जी दुखी होते हैं। तो यह सारी की सारी प्राब्लम हमारी दी हुई नहीं है, इन्होंने खुद क्रिएट की है - जिले देकर, कमिशनरियां देकर अब ये एक छोटा सा गांव मांगते हैं। देखो तो सही,

जट दि कित्थे अकल गई, भैंस बेच के घोड़ी लई
दुध पीण तो गया, लिद्द चटणी पई

यानी इतनी चीज करके, सारा पंजाब देकर अब ये कहते हैं कि हमें ये गांव दे दो, ये गांव दे दो।

They are asking for villages. What a pity it is!

तो मैं अर्ज़ करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि यह मसला तो हल होने वाला नहीं है, कोई सरकार इसको हल नहीं कर पाएगी, बी फ्रेंक। अगर इस हाउस में भी आप उल्टी-सीधी बातें करते हो तो फायदा क्या है। यह मसला इस तरह कभी हल नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि

पंजाब और हरियाणा के किसानों ने देश के भंडार को भरा है, दोनों को पानी मिलना चाहिए। यह नहीं कि पानी सिर्फ हरियाणा को ही चाहिए, पंजाब को भी चाहिए और हम कहते हैं कि पंजाब भी हमारा बड़ा भाई है, तोहड़ा साहब बैठे हैं, इनको छोटे भाई का ख्याल करना चाहिए और मिलकर हमें चलना चाहिए। सभापति जी, अब इनके दुख-दर्द तो हम मिटा नहीं सकते, वह हमारे बस का नहीं है। एक इंच इनको हरियाणा से जमीन नहीं मिली, न एक इंच पंजाब से मिलेगी, यह बात यह भूल जाएं। ये हमेशा 'गड्डे नाल कट्टा बणदे ऐ' - यह एक जट की मिसाल है, उसे कहा गया कि भाई, कट्टा खोल लो तो वह कहता है कि कट्टा खोल लिया तो फिर ढाल किद्दां होएगी। तो इन्होंने जो किया हुआ है कि पानी का मसला और चंडीगढ़ का मसला तब हल होगा जब....

श्री सभापतिः आप सवाल कीजिए।

SHRI LACHHMAN SINGH: Sir, I am coming to the point. I am coming to that. मैं वहीं आ रहा हूं। तो, सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यदि यह मसला हल नहीं हुआ तो क्या आप हरियाणा के किसानों को किसी और जगह से अल्टरनेटिव सोर्स से पानी हासिल करके उसे रियायती दर पर मुहैया कराना चाहेंगे और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हरियाणा के जमींदारों ने अपनी मेहनत से जो टयूबवैल खोदे हैं, एनआईटीसी ने उनको गहरे टयूबवैल प्रोवाइड किए हैं, तो क्या बिजली के रेट में कोई उनको रियायत देंगे ताकि उनके भी आंसू पोछे जा सकें? पंजाब पानी नहीं देगा, हमें मालूम है, कोई न कोई बहाना लग जाएगा, वहां से पानी नहीं मिलेगा। यह तो खुशफहमी है हरियाणा वालों की, हम तो सब्र करके बैठे हैं, लेकिन वहां से पानी नहीं मिलेगा।

श्री सभापतिः आप सवाल कीजिए।

श्री लछमन सिंहः तो क्या आप हरियाणा के किसानों की ...(**व्यवधान**). ..

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Sir, I am on a point of order. ...(*Interruptions*)... He cannot criticise the whole community of Haryana. I object to that.

श्री टी. एन. चतुर्वेदीः सर, वैसे प्वाइंट ऑफ आर्डर बनता नहीं है, लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस में यह है कि किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई ऐसी बात न कही जाए कि उसको अक्ल या उसकी अक्ल ...(**व्यवधान**)...

SHRI LACHHMAN SINGH: I am putting the question. आपको क्या कह दिया मैंने।

श्री सभापतिः वह सब मज़ाक में कह रहे हैं।

SHRI LACHHMAN SINGH: Why are you interrupting? I am putting the question. Sir, through you, I would like to enquire of the hon. Minister

whether he is prepared to give some concession to the farmers of Haryana in view of the non-solution of SYL canal issue. Alternatively, give concession. Are you prepared to do that?

डा. सी. पी. ठाकुर: सभापति जी, इस प्रश्न पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि हरियाणा को उसके बदले में कहीं से पानी मिल जाए और इसको पाने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। हमें मालूम हुआ है कि हरियाणा के मुख्य मंत्री और पंजाब के मुख्य मंत्री दोनों दोस्त हैं, तो हम उनसे फिर एक बार निवेदन करने जा रहे हैं कि अगर दोस्त हैं तो इसको सॉल्व करें और तोहड़ा जी अगर मदद करेंगे तो यह मसला सॉल्व हो जाएगा।

SHRI LACHHMAN SINGH: It is not a satisfactory answer, Sir. ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: उन्होंने कह दिया है कि कर रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मंत्री महोदय जी ने उत्तर देते हुए यह बताया है कि जब तक दोनों प्रदेशों के बीच अनुकूल वातावरण नहीं बनेगा तब तक इस नहर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सकता और सद्भावनापूर्ण वातावरण बनने के बाद ही नहर का निर्माण कार्य शुरू होगा। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हूं कि इस समय वे दोनों राजनीतिक दल, जिनकी उन प्रदेशों में सरकारें हैं, वे दोनों एन.डी.ए. के घटक दल हैं, तो क्या मंत्री महोदय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों को बैठाकर इस बारे में कोई अनुकूल वातावरण बनाने की पहल करेंगे?

डा. सी. पी. ठाकुर: उसके लिए प्रयास जारी हैं।

MR. CHAIRMAN: I think now I will allow Mr. Swaraj to put a question. ...(*Interruptions*)...

SHRI SWARAJ KAUSHAL: I think U.P. has very little to do with our problem. ...(*Interruptions*)...

SHRI T. N. CHATURVEDI: It was the ex-Minister of Haryana speaking.

SHRI SWARAJ KAUSHAL: She seems to have deserted not me, but the State definitely. (*Interruptions*) Sir, I want to say that our water is flowing down to Pakistan. The water to which India is entitled is flowing down to Pakistan. May I know ...(*Interruptions*).... The Minister can deny this. I believe, the Minister knows better than the hon. Member. Sir, our water is flowing down to Pakistan. May I know from the hon. Minister that in the absence of this SYL link, how much water, to which India is entitled, is flowing down to Pakistan?

DR. C. P. THAKUR: Sir, there is a difference of opinion on whether too much water is flowing down to Pakistan or not. But even for holding that water, another dam is being constructed by Punjab. Therefore, after the construction of the dam ...(*Interruptions*)

SHRI SWARAJ KAUSHAL: I just want to know how much water is flowing to Pakistan?

DR. C. P. THAKUR: Somebody said that there is some water flowing down to Pakistan and that should be ...(*Interruptions*)

SHRI SWARAJ KAUSHAL: What do you mean by saying, "somebody said'?

मैंने यह पूछा है कि पाकिस्तान को कितना पानी जा रहा है?

डा. सी. पी. ठाकुर: उसमें विवाद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ पानी जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं जा रहा है ...(**व्यवधान**) अभी एक डैम पंजाब सरकार बना रही है, उससे जो ऐक्सट्रा वॉटर अभी जाता है, वह वॉटर इस्तेमाल में आ जाएगा, 2 मिलियन

एकड़ फीट के करीब-करीब। इस डैम के बन जाने से वह पानी पंजाब को मिल सकेगा।

श्री सभापति: आपके जबाब से लगता है कि 2 मिलियन पानी पाकिस्तान को जा रहा है ...(**व्यवधान**)...

कुछ माननीय सदस्य: रावी का जा रहा है ...(**व्यवधान**)

श्री स्वराज कौशल: मंत्री जी, पानी फीट में नहीं होता।

डा. सी. पी. ठाकुर: 2 मिलियन एकड़ फीट।

सरदार गुरूचरण सिंह तोहड़ा: सतलुज और व्यास का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं जा रहा है। फ्लड का पानी जाता है। रावी का पानी रुका नहीं। इनको पानी कहां से दे दें हम?

सरदार बलबिन्दर सिंह भुंडर: ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह देश एक है, हम सब भाई-भाई हैं लेकिन जब भाईयों में ही बंटवारा होता है तो किसी कानून के तहत, कन्वैंशन के तहत होता है। होम-मिनिस्टर साहब ने एक तरीका तो यह बताया कि ये दोनों स्टेट्स, दोनों भाई मिलकर फैसला कर लें लेकिन जो दूसरा तरीका है, जो दुनिया का कानून है, देश का कानून है, जो नेचर लॉ है, राईबेरियन लॉ है, अगर भाई के साथ बैठकर फैसला न हो तो जो ऐवार्ड था, वह छोड़कर जो नेचर लॉ है, राईबेरियन लॉ है, उसके तहत फैसला करने के लिए क्या मंत्री महोदय विचार करेंगे?

डा. सी. पी. ठाकुर: सभापति महोदय, दो तरह से यह मैटर सब-जुडिस है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग है और एक ट्रांईब्यूनल इस पर बैठा हुआ है। माननीय सदस्य ने जो कहा है, उस हिसाब से इस पर विचार हो रहा है।

श्री सभापति: प्रेम चन्द गुप्ता।

श्री बनारसी दास गुप्त: महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नहीं, आपका सवाल हो चुका है।

श्री बनारसी दास गुप्त: ये जो बातें कही जा रही हैं, क्या उन पर सवाल पूछने के लिए हम अधिकारी नहीं हैं?

श्री सभापति: क्वश्चन-ऑवर में नहीं पूछ सकते। डिबेट मांग सकते हैं आप इस पर।

श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता: चैयरमेन सर, यह सवाल इतना गंभीर है कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता। हरियाणा के सब लोग बोल चुके हैं, पंजाब के भी लोग बोल चुके हैं। इसमें मैं एक सजेशन देना चाहता हूं अगर माननीय मंत्री महोदय इस पर गौर करें? क्योंकि अभी एन.डी.ए. की सरकार है और दोनों स्टेट के जो मुख्य मंत्री हैं उनकी आपसी समझ बहुत अच्छी है। पाकिस्तान को बहुत पानी जाता है, माननीय मंत्री जी को शायद इस बात की जानकारी है या नहीं? और क्या एक मीटिंग बुलाकर और इसमें नेशनल कंसेंसस करके इस पर कोई फैसला करवाने की कोशिश करेंगे?

डा. सी. पी. ठाकुर: सर इनकी सलाह पर हम विचार कर रहे हैं।

Excess billing of telephones in Malviya Nagar, New Delhi

†*706. SHRI BHAGATRAM MANHAR:

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that written complaints regarding inaccurate and excess billing of telephones pertaining to Malviya Nagar and Shivalik in South Delhi are not attended to immediately, causing a lot of hardship to the subscribers;

(b) if so, how many written complaints have been received by MTNL during the last six months regarding inaccurate and excess billing and what action has been taken to dispose off these complaints promptly by the MTNL; and

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Bhagatram Manhar.